तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./781/2001/जोधपुर लालू बनाम कालिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री वी.एस. राडौड, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री ओ.एल. दवे, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 04.04.2019

प्रार्थीगण ने यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25-01-2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज कालिया वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम केरू स्थित विवादित आराजी बाबत् घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में प्रतिवादी माटुडी व अमीया की ओर से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-07-1966 से वाद खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय के अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-6-1972 से वादी के पक्ष में निर्णीत कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध लालू ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील वर्ष 1999 में प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25-1-2001 से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को निरस्त करते हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./781/2001/जोधपुर लालू बनाम कालिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील मियाद बाहर होने से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायाल के समक्ष उनके पक्षकार की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में पर्याप्त एवं सद्भावी कारणों का उल्लेख किया था, जिसके आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णीत करना चाहिए था। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी लालू की ओर से अत्यधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में देरी को क्षम्य किये जाने बाबत् पर्याप्त एवं सद्भावी कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। उनका कथन है कि लालू राम मृतक प्रार्थी ने विवादित भूमि का विक्रय दल्ला राम के पुत्रों मेघराज, मगाराम व परसाराम को दिनांक 8-2-1999 को कर दिया तथा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./781/2001/जोधपुर लालू बनाम कालिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मृतक लालूराम द्वारा विवादित भूमि का विक्रय करने के पश्चात् माह अप्रेल, 1999 में प्रस्तुत की गयी तथा निगरानी वर्ष 2001 में की गयी, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की विस्तृत विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 22 नियम 10 सपठित आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी दिनांक 11-10-2012 को निर्णीत करना उचित समझते है प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थी लालू राम का देहान्त दिनांक 28-09-2003 हो गया, जिसके वारिसान प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार 1/1 लगायत 5/5 है तथा विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 8-2-1999 से मघाराम व परसाराम ने क्रय की, जिसका नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक 20-8-1999 का क्रेता के पक्ष में स्वीकृत हुआ। लालू के फौत होने से विवादित आराजी के क्रेतागण को भी लालू के वारिसान के साथ प्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में वर्ष 1999 में ही विवादित आराजी लालू से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय किये जाने का कथन किया गया है। क्रय किये जाने के उपरान्त क्रेता प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील में पक्षकार संयोजित नहीं था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./781/2001/जोधपुर लालू बनाम कालिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मृतक प्रार्थी लालू के वारिस 1/1 से 1/5 को रिकार्ड पर लेने की हद तक प्रार्थनापत्र दिनांक 11-10-2012 स्वीकार किया जाता है तथा क्रेतागण प्रार्थी निगराकार के विधिक प्रतिनिधि के रूप में निगरानी में नहीं जोडे जा सकते। ऐसी स्थिति में चाहा गया शेष अनुतोष अस्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दीवानी दिनांक 11-10-2012 में वर्णित अनुसार अप्रार्थी संख्या-1 कालिया का देहान्त दिनांक 7-5-2011 को हो गया है, जिसके वारिसान प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार 1/1 लगायत 1/9 है। अप्रार्थी संख्या-2 अमीया पुत्र मोटा का देहान्त हो गया है, जिसके वारिसान प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार 2/1 से 2/3 है। तरतीबी पक्षकार माधुडी पत्नी भोमा का भी देहान्त हो गया है, जिसके वारिसान 3/1 व 3/2 है, जिन्हें रिकार्ड पर लिया जावे। अप्रार्थीगण की मृतक हो जाने से उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार मृतक अप्रार्थीगण के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है। इसी प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् अप्रार्थी संख्या-1/1 से 1/5 का नाम तर्क करने में वर्णित अनुसार अप्रार्थी संख्या-1/1 से 1/5 ने विवादित आराजी का बैचान अप्रार्थीगण संख्या 2/1 से 2/2 को कर देने से विवादित आराजी में उनके हित निहित नहीं रहे है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या-1/8 एवं 3/1 का देहान्त हो चुका है, जिसके वारिसान पूर्व से रिकार्ड पर है। अतः प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या1/1 से 1/5 एवं 1/8 तथा 3/1 का नाम रिकार्ड से तर्क किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी संशोधित उनवान शीर्षक प्रस्तुत करें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./781/2001/जोधपुर लालू बनाम कालिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज कालिया वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम केरू स्थित विवादित आराजी बाबत् घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–07–1966 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय के अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–6–1972 से वादी के पक्ष में निर्णीत कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध लालू ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील वर्ष 1999 में प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने मियाद बाहर मानते हुए खारिज कर दी। प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 11–10–2012 के अनुसार प्रार्थी निगराकार लालू मृतक ने विवादित भूमि का विक्रय दल्ला राम के पुत्रों मेघराज, मगाराम व परसाराम को दिनांक 8–2–1999 को कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील मृतक लालूराम द्वारा विवादित भूमि का विक्रय करने के पश्चात् माह अप्रेल, 1999 में प्रस्तुत की गयी तथा निगरानी वर्ष 2001 में की गयी। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी का विक्रय करने के पश्चात् लालूराम को अपील एवं निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त हो जाते है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को नियमानुसार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./781/2001/जोधपुर लालू बनाम कालिया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहनलाल नेहरा)** **सदस्य**	